तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता मे जारी हु
28.11.2023	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रभावहीन होने एवं जमा कैश सिक्योरिटी लौटाने बाबत् सुनी गयी। वकील रैस्पो0 का तर्क है कि उक्त अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने के कारण अपीलाण्ट/वादिया ने दावा वापस लिया जाकर खारिज करा लिया है। इसलिये हस्तगत अपील भी स्वतः ही प्रभावहीन हो चुकी है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि हस्तगत अपील में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.05.1999 को 4000 रूपये कैश सिक्योरिटी प्रतिवर्ष पर विवादित आराजी पर काश्त करने की अनुमति दी गयी थी, जो रैस्पो0 द्वारा प्रतिवर्ष जमा करायी गयी है। उक्त राशि को रैस्पो0 को दिलाया जाकर, हस्तगत अपील को प्रभावहीन में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने उक्त तथ्य बाबत् कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा रैस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 31.07.2023 से तहसीलदार कुम्हेर से अब तक जमा की गयी राशि की वर्षवार जानकारी एवं वर्तमान में पक्षकारो के मध्य कोई वाद लम्बित है अथवा नहीं की जानकारी चाही गयी थी। जिस पर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपने पत्र क्रंमाक 431 दिनांक 05.09.2023 से अवगत कराया गया है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है एवं वर्तमान में दोनों पक्षो के मध्य कोई विवाद नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा कार्यालय में कुल 92000/– अक्षरे वानवे हजार रूपये जमा कराये गये हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार के पत्र से स्पष्ट है कि वर्तमान में पक्षकारो के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा मूल वाद को जरिये राजीनामा खारिज करा लिया है। लिहाजा हस्तगत अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। जहॉ तक कैश सिक्योरिटी लौटाने का प्रश्न है। इस संबंध में तहसीलदार कुम्हेर को आदेश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी/रैस्पो0 को उनके द्वारा जमा करायी गयी राशि का नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये प्रभावहीन खारिज की जाती है। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट जरिये प्रभावहीन खारिज की जाकर, तहसीलदार कुम्हेर को प्रार्थी/रैस्पो0 के द्वारा जमा करायी गयी राशि का नियमानुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 28.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/11/2023 (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)